अनुबन्ध

(ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सेवा सदन में कमरे के निर्माण के लिए धर्मार्थ दान देकर सेवा सदन में संवास के इच्छुक हैं।। 100 रू• के नान–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

आज दिनांक.....को मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय पंचवटी कालोनी, मवाना रोड, मेरठ (प्रथम पक्ष) एवं श्री/ श्रीमती/कु• .....(द्वितीय पक्ष) के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध करार पाया जो कि मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट की ओर से श्री/ श्रीमती..... न्यासी एवं द्वितीय पक्ष की ओर से श्री/ श्रीमती/ कु•/ .....पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री..... .....के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

(1) प्रथम पक्ष का पंचवटी कालोनी, मवाना रोड, में '' आभा मानव मंदिर'' के नाम से एक वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन है।

(2) द्वितीय पक्ष उपरोक्त सेवा सदन में एक कमरे के निर्माण का खर्च स्वयं अथवा अपने परिजनों द्वारा कुल रू•..... .....प्रथम पक्ष को दान स्वरूप भेंट करना चाहता है।

(3) इस एक कमरे की दीवार पर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के सुझाव अनुसार एक पट्टिका लगायेंगे, जिस पर निम्नलिखित सन्देश लिखा होगा :

.....

.....

(4) उपरोक्त सन्देश पट्टिका को प्रथम पक्ष कमरे की दीवार पर लिखा रहने देगें, जब तक कमरे की वर्तमान में निर्मित दीवारें मौजूद रहेंगी।

(5) यदि श्री/ श्रीमती.....उपरोक्त सेवा सदन में संवास (रहना) चाहते हैं तो उनको वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने के पश्चात ही सेवा सदन में स्थान पाने का हक होगा। सेवा सदन में स्थान पाने के लिए 30 दिन पहले आवेदन देना होगा। वरिष्ठ नागरिक होने से पूर्व सेवा सदन में स्थान पाने के वे पात्र नहीं होंगे।

(6) प्रथम पक्ष के लिए अनिवार्य होगा कि सेवा सदन में 30 दिन के अन्दर ही एक कमरे का प्रबन्ध करें तथा क्र•सं• 5 पर अंकित व्यक्ति को सेवा सदन में स्थान दें।। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कमरे की दीवारों पर द्वितीय पक्ष की पट्टिका लगी है वही कमरा द्वितीय पक्ष को दिया जाये। द्वितीय पक्ष इस बात के लिए प्रथम पक्ष को बाध्य नहीं करेगा।

(7) द्वितीय पक्ष केवल क्र•सं• 5 में इंगित व्यक्ति के लिए ही सेवा सदन में रहने के लिए आवेदन दे सकते हैं, किसी अन्य के लिए नहीं।। अगर ऐसा करना हो तो यह केवल प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति से ही हो सकता है।

(8) क्र•सं• 5 पर इंगित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को (यदि वो प्रवेश के नियमों को पूरा करता है) कमरे में ठहरा सकता है । यदि सेवा सदन में प्रवेश से पूर्व ही नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्र•सं• 5 में इंगित व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी नामांकित कर सकता है। मगर क्र•सं•–5 में इंगित व्यक्ति केवल अपने जीवन काल में ही दूसरे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। नामांकित व्यक्ति केवल जीवित रहने तक ही कमरे का उपयोग कर सकता है। नामांकित व्यक्ति को किसी प्रकार का नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) क्र•सं• 5 पर इंगित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात द्वितीय पक्ष अथवा उनके वारिसों का या अन्य सगे सम्बन्धियों का कोई अधिकार किसी भी कमरे अथवा सीट पर नहीं होगा।

(10) एक बार क्र•सं• 5 पर इंगित व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के प्रवेश पाने के पश्चात प्रथम पक्ष क्र•सं• 5 के व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करेंगे जो अन्य संवासियों के साथ करते होंगे यानि कि यदि संवासियों को मुफ्त भोजन, दवाई, कपड़े अथवा अन्य सुविधा मिलती है तो क्र•सं• 5 को भी वहीं सुविधायें मुफ्त ही दी जायेंगी।। यदि उपरोक्त के लिए कोई शुल्क अन्य संवासियों से लिया जाता है तो क्र•सं• 5 से भी वही शुल्क लिया जायेगा।

(11) द्वितीय पक्ष अथवा उसके वारिस या रिश्तेदार कभी भी प्रथम पक्ष से अपने द्वारा दान किये गये धन के लिये ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति अथवा सेवा सदन के कमरे पर कोई मलिकाना अधिकार नहीं जतायेगा और न ही किसी किराये अथवा ब्याज आदि का हकदार होगा। कमरा सदा के लिए प्रथम पक्ष की ही मिल्कियत रहेगा।

(12) यह अनुबन्ध द्वितीय पक्ष के द्वारा रू•.....प्रथम पक्ष के पास जमा करने के पश्चात ही लागू होगा अन्यथा स्वयं समाप्त माना जायेगा।

(13) उपरोक्त की किसी भी धारा में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की आपसी रजामन्दी से ही कोई संशोधन किया जा सकेगा।

(14) किसी भी प्रकार के विवाद के लिए केवल मेरठ शहर कोर्ट का क्षेत्र ही मान्य होगा।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....
गवाह (1).....	गवाह (1).....
.....	.....
गवाह (2).....	गवाह (2).....
.....	.....